RAJYA SABHA

Tuesday, the 3rd September, 1991/12 Bhadra, 1913 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

MEMBER SWORN

Shrimati Basanti Sarma (Assam)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*101. [*The questioners (Kumari Alia and Shri Dhuleshwar Meena) were absent. For answer vide col. 36 infra].*

*102. [*The questioner (Shri Shamim Hashmi) was absent. For answer, vide col. 37 infra].*

*103. [*The questioner (Shri Raghavji) was absent. For answer,* vide *col.* 37—40 *infra].*

*104. [*The questioner (Shri Shankar Dayal Singh) was absent. For answer,* vide col. 41 infra.]

Proposal to amend the Environment (Protection) Act, 1986

*105. SHRI KAPIL VERMA:†

SHRI RAM NARESH YADAV:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government propose to amend the Environment (Protection) Act, 1986 so as to bring about certain types of industries within its purview for obtaining environmental approval; and

(b) if so, what are the details in this regard ?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Kapil Verma.

SHRI KAPIL VERMA: I want to know: (a) whether the Government at any stage was considering proposals for issuing notifications under the Act to define geographical areas, industries, power consumption limits and other industries which would have to get environmental clearance ? If so, what is the reason for giving up this idea? (b) whether more than half of the large and medium industries are yet to put up plants and machinery for pollution control ? If so, what action is being taken against them? (c) whether any legislation to incorporate civil liability in case of environmental damage is proposed to be introduced ? If so, when ?

SHRI KAMAL NATH: Sir, in order to facilitate location and choice of technological aspects for mitigating the environmental impact, the Ministry proposes to issue a specific notification with the following objectives:

(i) To avoid the location of industries in specified areas;

(ii) To regulate haphazard development in other areas;

(iii) To promote environmental aspect and rehabilitation in already degraded areas.

(iv) To involve the State Government in the process of impact assessment and clearance.

Adequate steps are provided in the Environmental Protection Act and these will be strictly enforced.

SHRI KAPIL VERMA: I had asked about the legislation to incorporate civil liability.

SHRI KAMAL NATH: There has been a proposal for environemntal tribunals which shall come into being shortly to cover hazardous substances and this will be at the Central and the State levels.

SHRI KAPIL VERMA: My second supplementary is whether the Government has identified the most-polluting industries and, if so, how many such industries are there and whether this is being reduced because of certain reasons.

(b) Is it true that conditional environmental clearance had been given to the Tehri Dam? Have the disaster management plan and other environmental protection schemes been submitted? If not, what action has been taken?

SHRI KAMAL NATH: There is a list of 17 very highly polluting industries. The new Industrial Policy has adequately taken care of such industries by providing for overriding environmental considerations. This list is in no way being reduced and the new notification, which we shall be issuing shortly, will encompass all the highly polluting industries and will also be bringing into its ambit the areas which have become envronmentally degraded so that adequate environmental care could be taken.

With regard to the Member's question about the Tehri Dam, the approval given was a conditional approval. They were required to submit a disaster management plan. We have not yet received their disaster management plan.

SHIR KAPIL VERMA: Will you cancel the permission?

SHRI KAMAL NATH: The disaster management plan is only one of the conditions which they have not fulfilled. There are two or three more conditiions which the Tehri Dam authorities are required to fulfil in pursuance of the clearance granted to them. We are discussing with the authorities concerned to find out the progress on it. I can assure that no compromise on the safety aspects or on any of the environmental considerations shall be shown.

श्री राम नरेश यादव : महोदय, टिहरी डैम के बारे में इधर बड़ी चर्चा हो गई है । माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि टिहरी डैम के बारे में जो मैनेजमेंट प्लान है, वह अभी रिसीव नहीं किया गया है और इस आधार पर हम कुछ करने को तैयार नहीं हैं । आप जानते हैं कि यह इतनी बड़ी योजना है जिस पर अरबों रुपये खर्च किये जा रहे हैं, जिसमें बिजली पैदा होगी और सिंचाई के साधन भी उपलब्ध होंगे । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर कब तक आप इस पर्यावरण के मामले को पास करेंगे और पास करके पूरे देश को बचाने का काम करेंगे कि इस योजना से कोई खतरा नहीं है ?

श्री कमल नाथ : श्रीमन्, हमने तो पास कर दिया है । हमने कोई कन्डीशन लगा करके पास किया है । उस कन्डीशन का पालन टिहरी डैम अथोरिटीज़ को करना है । हमको कुछ टिहरी डैम के विषय में स्वीकार नहीं करना है । जो हमें स्वीकार करना था, पूरी क्लेयरेंस हमने उन्हें दे दी है । हमने तो...

श्री सभापति : एडीशनल क्लेयरेंस दी है आपने ?

श्री कमल नाथ : जो एडीशनल थी सर, वह परी पासु, साथ-साथ टिहरी डम की योजना बनने के साथ ही उन कंडीशंस का पालन करना चाहिये था। हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जिनमें कुछ देरी हुई है, उनके बारे में हम उनसे चर्चा कर रहे हैं ।

श्री राम नरेश यादव : अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा ?

श्री कमल नाथ : अगर वह कर लेंगे तो क्या होगा, इसका कई जवाब नहीं है ।

श्री सभापति : हाइपोथेटीकल क्वेश्चन नहीं होता, यह तो आप जानते हैं ।

श्री राम नरेश यादव : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपका विभाग इस दिशा में उस विभाग से मिलकर क्या कार्यवाही करने जा रहा है ? क्योंकि आपकी तरफ से विलंब उसमें किया गया है और इसके कारण कास्ट बढ़ती जा रही है, तो यह जो क्षति हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए मंत्रालय की ओर से जल्दी से जल्दी क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कमल नाथ : हमारी तरफ से कार्यवाही जल्दी होने की जरूरत नहीं है। हमारे मंत्रालय से जो कार्यवाही होनी थी, वह समाप्त हो चुकी है। उसके बाद डिपार्टमेंट आफ माइंस ने उनको क्लियरेंस देनी थी। उनको डिपार्टमेंट आफ माइंस से भी क्लियरेंस मिल गई है। तो हमारी ओर से अब कोई स्वीकृति की जरूरत नहीं है। जो कंडीशंस थी, उनके पालन में क्यों देरी हुई है, इस बारे में हम उनसे चर्चा कर रहे हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि उन कंडीशंस को वह जल्दी से पूरा करें।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : सभापति महोदय, पर्यावरण मानव जीवन के लिये बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ आर्थिक विकास के लिये देश का औद्योगीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महोदय, समाचार-पत्रों के माध्यम से यह बात जानकारी में आई है कि माननीय मंत्रीजी या भारत सरकार छोटे छोटे उद्योगों को पर्यावरण की शर्तों से मुक्त करने जा रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई निर्णय लिया गया है? यदि ऐसा निर्णय लिया गया है तो उसका क्या आधार है?

श्री कमल नाथ : सर, छोटी-छोटी सड़कें जो हैं, सड़कों की बात थी ना?

श्री सभापति : नहीं, योजनायें, छोटी औद्योगिक योजनायें, स्माल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज।

श्री कमल नाथ : सर, छोटी औद्योगिक योजनायें जो हैं, अब तक केवल थर्मल पावर स्टेशन और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और बड़े हाइडल स्टेशन ही केंद्र के पास स्वीकृति के लिये आते थे। आज भी यही स्थिति है। इसके अलावा जो 17 बड़ी योजनायें और बड़े-बड़े उद्योग हैं, सबसे ज्यादा प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योग हैं, वे ही केवल केंद्र के पास आते थे। अब जब नया नोटिफिकेशन होगा, उसमें राज्य पौल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ऐसे अधिकार दिये जा रहे हैं ताकि इसकी स्वीकृति राज्य लेवल पर ही दी जाये।

श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के बनने के पहले बहुत-सी ऐसी औद्योगिक इकाइयां थीं, जो स्थापित हो गई थीं किन्तु वे पर्यावरण के दृष्टिकोण से प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन 17 उद्योगों की, जो सूची में दर्शाये गये हैं, नये सिरे से जांच-पड़ताल की जायेगी और यह देखा जायेगा कि जो उद्योग उस सूची में आते हैं, पर इस अधिनियम के बनने से पहले स्थापित हो गये थे, वे प्रदूषण तो नहीं फैला रहे हैं। अगर वे प्रदूषण फैला रहे हैं तो उन पर क्या कार्यवाही की जायेगी? महोदय, यहां पर मैं विशेषरूप से मध्य प्रदेश का जिक्र करना चाहता हूं। वहां पर इंदौर और रायपुर के पास जो बड़े अल्कोहल के संयंत्र हैं वे प्रदूषण फैला रहे हैं। तो क्या उनकी नये सिरे से जांच करके यह देखा जायेगा कि इस अधिनियम के प्रावधानों का उनके द्वारा उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है?

SHRI KAMAL NATH: Sir, the Environment (Protection) Act provides not for future industries, not for industries to be set up, but for all industries. The primary duty under the Act is that of the State Pollution Control Boards, not necessarily of the Central Pollution Control Board, though the jurisdiction is concurrent. Therefore, it is for the State Governments and the State Pollution Control Boards to monitor it on a regular basis; the pollution hazards and the pollution limits for various industries. But when any specific complaints are brought to the notice of the Ministry, we do interact with the State Pollution Control Boards and see what can be done.

MR. CHAIRMAN: The hon. Member referred to two plants.

दो अल्कोहल प्लांट्स जो इंदौर और रायपुर के पास हैं।

श्री कमल नाथ : यह आल्कोहल प्लांट 17 में से एक इंडस्ट्री है (व्यवधान)

श्री सभापति : यह दो प्लांट्स जो पोल्यूशन कर रहे हैं, इनको आप देखेंगे क्या ?

श्री कमलनाथ : ठीक है । I will look into it. I do not have any specific information Something was brought to my notice. But I will look into it.

श्री सभापति : अभी थोड़ा मांग रहे हैं । जो उन्होंने कहा है, उसको आप देख लीजिये । श्री जगदीश प्रसाद माथुर ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : महोदय, मैं फिर टिहरी डैम पर आता हूं । मंत्री महोदय ने कहा कि कुछ शरायत लगाई गई हैं । मेरा पूछना यह है कि क्या यह शरायत जब टिहरी डैम की कंस्ट्रक्शन कई साल पहले प्रारंभ हुई थी तब क्यों नहीं लगाई गई । यह बीच में बवंडर क्यों खड़ा किया गया है ? इम्प्रेशन यह हो रहा है कि कुछ लोग पैसा वसूली करने के धंधे में लगे हुए हैं । जितने भी रशियन एक्सपर्ट आए या इण्डियन एक्सपर्ट आए उन्होंने अपना काम प्रारम्भ कर दिया और काम प्रारम्भ करने के कई साल बाद आपके डिपार्टमेंट की ओर से कंडीशंस लगाई गई है । आपके विभाग और पावर मंत्री के अखबारों में उल्टे बयान छप रहे हैं । पावर मंत्री कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, यह अड़चन डाल रहे हैं यह अपस की दुविधा क्या है और यह बीच में अड़चन क्यों है ? Why was it not cleared in the first instance?

श्री कमलनाथ : सभापति महोदय, जुलाई, 1990 में इसकी क्लीयरेंस दे दी गई । ऐसी बात नहीं है कि कई साल पहले क्लीयरेंस दे दी गई थी । जुलाई, 1990 में मेरे मंत्रालय ने इसको स्वीकृति दी । यह प्रश्न कि स्वीकृति दी गई है या नहीं दी गई है बहुत दफा उठा है । मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि इसको स्वीकृति जुलाई, 1990 में दी गई थी और जो अखबारों में छपा है **(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : कंडीशंस दी हैं तो यह कंडीशंस पहले क्यों नहीं लगी ? काम प्रारम्भ होने से पहले यह कंडीशंस क्यों नहीं लगी

श्री कमलनाथ : जुलाई, 1990 में जो स्वीकृति के साथ अप्रूवल लेटर के साथ जो कंडीशंस थीं, मैं उन्हीं कंडीशंस की बात कर रहा हूं । उसके बाद न कोई कंडीशन लगी और न लगेगी । जो स्वीकृति की चिट्ठी के साथ कंडीशंस थीं वही कंडीशंस हैं, कोई नयी कंडीशन नहीं लगी, न आज के दिन लगी है और न छः महीने पहले लगी है । जो कंडीशंस लगनी थीं वह जुलाई, 1990 में ही लगाई गई थीं । **(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो बना रहे हैं जो कंट्रेक्टर्ज हैं उन्होंने बिना आपकी शर्तें माने हुए अपना काम प्रारम्भ कर दिया । अगर प्रारम्भ कर दिया तो उस वक्त क्यों नहीं रोका गया ? Why was it not stopped by them? जब इतनी बड़ी दो वारें उठ गई तो उसके बाद कंडीशंस कहां से आ गई ?

श्री सभापति : यह इनके मंत्रालय से कैसे आप पूछेंगे ? इनसे क्या पूछेंगे ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इन्होंने ही अड़ंगा लगाया है **(व्यवधान)**

श्री सभापति : बांध बांधना तो इनका काम नहीं है । जुलाई, 1990 में कुछ कंडीशंस लगीं, उनके मुताबिक यह काम कर रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : रोज अखबारों में छप रहा है । पावर मंत्री और इनके बीच में झगड़ा है **(व्यवधान)** हम तो यह जानना चाहते हैं कि झगड़ा कहां है, क्यों है और यह कब मिटेगा ? अगर उन्होंने पहले ही काम शुरू कर दिया था तो उनको दण्डित क्यों नहीं

किया गया (व्यवधान) इसका जवाब दो। Who is responsible for this?

श्री कमलनाथ : जो स्वीकृति दी गई थी, काम शुरू करना, पैसा अलाट करना, यह मेरे मंत्रालय का विषय नहीं है।

श्री सभापति : वही मैंने कहा है।

श्री कमलनाथ : जहां तक स्वीकृति का प्रश्न है, जुलाई, 1990 में जब स्वीकृति दी गई थी जैसे पहले एक उत्तर में कहा है कि स्वीकृति के साथ साथ ऐसी कंडीशंस थीं, कंस्ट्रक्शन के साथ-साथ, इनशियिल काम के साथ जिनका पालन होना था। उनमें से कुछ का पालन शुरू हो गया और कुछ का देर से चल रहा है, कुछ हो रहा है। यह बात कि कैसे काम शुरू हो गया। काम तो शुरू होना ही था क्योंकि जो कंडीशंस थीं उसके साथ उनका पालन जैसे मैंने कहा पारी-पासु कंडीशंस थीं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : प्रधानमंत्री या सदन के नेता आ कर बताएं और दोनों मंत्रालयों के बीच की बात पूरी करें। इनसे बात पूरी नहीं होगी (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री या सदन के नेता आ कर बताएं (व्यवधान)

श्री कमलनाथ : आपके प्रश्न का जवाब जितना पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित था, वह मैंने दे दिया है (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री अथवा सदन के नेता इस बात को साफ करें। रोजाना अखबारों में जो छप रहा है (व्यवधान)

श्री सभापति : आप प्रधानमंत्री से मिल कर बात कर लीजिएगा। (व्यवधान)

श्री राजमोहन गांधी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से टिहरी पर प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपने पर्यावरण संबंधित स्वीकृति के साथ जो शर्तें दी हैं पारी-पासु वह शर्तें क्या हैं, यह आप बताने का कष्ट करें ?

SHRI KAMAL NATH: Sir, this question is related to environment and not to the Tehri Dam, but I shall attempt to answer on the basis of what I remember—I may not be very exact. The first condition was for the preparation of a Disaster Management Plan. The Disaster Management Plan is a plan which envisages action and steps and safeguards in case there is a breach in the dam. The next was in relation to the Catchment Area Treatment Plan. The Catchment Area Treatment Plan is necessary which the Project authorities, not only in this case but in all other cases, are required to prepare to ensure that arising out of this dam upstream there is no substantial soil erosion which may lead to silting of the water, thereby reducing the life of the dam. The third thing which we had asked was a study to be carried out with regard to the design of the dam. Now the design of the dam is approved by the Ministry of Mines. The Ministry of Mines has last month, in August 1991, approved the design of the dam and has taken various safety aspects—based on various Committees which had been set up in the past—into consideration and has given approval of it. So, these were the three substantial conditions. There was also the condition of rehabilitation. That is still being discussed because rehabilitation cannot be absolutely, 100 per cent, similar in all areas. One question is how a family unit will be treated—whether the head of the family will be treated as a family unit or the major children will be treated as family units. So these are, roughly, the conditions. There was the Command Area Development Plan also. These were supposed to have been done when we gave the approval in July 1990. These were to go on *pari passu* because there is preliminary work, initial work, to go on with the dam. That is what they have started. The Tehri Project

has yet to get the PIB clearance. It has not even gone to the stage of the PIB clearance as yet.

Manuscripts of Indian Origin abroad

*106. SHRI JOHN F. FERNANDES: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of rare manuscripts of Indian origin lying in libraries and museums in Lisbon, London and Paris which were taken there before independence of the country and the liberation of Goa and Pondicherry; and

(b) if so, whether any attempts have been made to retrieve them in original form or if that is not possible, to obtain their microfilm copies which can be made fully available and displayed at National Musem/Archives for the use of our scholars and researchers ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Attempts have been made by the National Archives of India to retrieve microfilms of the important documents that were removed from this country to England, France and Portugal. Microfilms received as a result of this are available to scholars and researchers.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Mr. Chairman, Sir, it is amazing that even after 44 years of the independence of our country, the Government of India is still making attempts to get only microfilms and not the originals of these rare manuscripts. May I know if there are any protocols or understandings signed with these three nations at Government level and at what stage they are pending ?

SHRI ARJUN SINGH: Sir, it is a fact that the original manuscripts have not been returned, and till date I see no reason to hope that the originals will be returned because, on this, it is almost a closed mind on the part of these countries. But so far as the microfilms are concerned, from Britain we are already in the process of receiving some of the microfilms. About France, according to our mutual protocol, officers will be going very soon to make microfilms of the documents which have been identified. In the case of Portugal we are trying to identify, and there is cooperation from the Portugal side also and I think the microfilming will not create any major hurdle.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Sir, part (b) of my question is this : Many of our scholars have to submit their thesis on research at the university level, and the crucial part of this manuscript is that some part of it is remaining in foreign countries and most of these scholars and professors travel abroad on their own to make use of these manuscripts and it is very difficult for them to have approach to these documents on their own. May I know from the honourable Minister if any direction will be issued to our Missions abroad to assist these scholars and professors to obtain this permission ?

SHRI ARJUN SINGH: Sir, I think that this is a legitimate request and there should be no difficulty in requesting our Missions abroad to help the scholars in this matter.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Sir, part (c) of my question is, whenever scholars go abroad, they have to pay for this documentation fee. It is improper that these people are paid only $ 520 under the F.T.S., and as a result they cannot procure the microfilm copies. May I know from the hon. Minister whether these researchers will be provided with additional foreign exchange for such projects ?

SHRI ARJUN SINGH: Sir, this is something in which I would not venture to get into because providing foreign exchange is not something in which I have a say.

MR. CHAIRMAN: In specific cases you can make a request, in important cases you can make a request.

SHRI ARJUN SINGH: I will certainly request the hon. Finance Minister.

श्री शंकर दयाल सिंह : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि अभी पिछले साल